न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 34 / 2020 (2020 / 00075)

प्रार्थी / निगरानीकर्ता :–

दलाराम पुत्र करनाराम, जाति पटेल, निवासी ग्राम मोगड़ा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत मोगड़ा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. सुखदेव पुत्र रूगनाथ राम, जाति नाई, निवासी मोगड़ा कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पंचायत निर्णय 05.11.2019 अन्तर्गत मिसल संख्या 24 वर्ष 2019–20 द्वारा ग्राम पंचायत मोगड़ा कला एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 49 बहक अप्रार्थी संख्या 2 को जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थिति :

1. अधिवक्ता श्री मोतीसिंह व करणसिंह (प्रार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री तनसिंह व रामनिवास (अप्रार्थी संख्या 02)।

आदेश दिनांक :–11.10.2022

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 पंचायत निर्णय 05.11.2019 अन्तर्गत मिसल संख्या 24 वर्ष 2019–20 द्वारा ग्राम पंचायत मोगड़ा कला एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 49 बहक अप्रार्थी संख्या 2 को जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मोगड़ा कला द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को पंचायत राज नियमों का उल्लघंन करते हुए विधिविरूद्ध पट्टा जारी किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह पंचायत निगरानी पेश की है।

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत मोगड़ा कला से [illegible] अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] वकालतनामा पेश किया। ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:23:37 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत मोगड़ा कला से मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 23.09.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय दिनांक 05.11.2019 पारित करने से पूर्व मिसल को ग्राम पंचायत की साधारण सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पंचायत की साधारण सभा के किसी प्रस्ताव के बिना ही निगरानीधीन पट्टा व जैर निगरानी आदेश पारित किया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पंचायत की साधारण सभा द्वारा नियमन का निर्णय किया जाना आवश्यक है, जबकि हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी आदेश पंचायत के निर्णय की बैठक के बिना ही पारित किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे बतलाया कि नियम 157 के तहत पुराने मकानों का ही नियमन किया जा सकता है परन्तु मिसल में नियमन शुदा भूमि पर मकान बने होने का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि खाली भूमि का नियमन किया गया है जो नियमों के विरूद्ध है। मिसल के साथ जो प्रार्थना–पत्र लगा हुआ है उसमें नाप, पड़ौस एवं कॉलम संख्या 4 से 7 खाली है और उसमें कोई विवरण नहीं भरा है और साथ ही जो शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है उस शपथ–पत्र में भी पड़ौस, खसरा नं0 व कब्जा कितने वर्षों से है उसके संबंध में तथ्य खाली है। मिसल के साथ जो नक्शा बना हुआ है उस नक्शें पर ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या 2 के भी हस्ताक्षर नहीं है। नियम 146 (3) के तहत जिस कमेटी द्वारा निरीक्षण कर प्रपत्र तैयार किया गया, उस कमेटी का गठन भी ग्राम पंचायत की साधारण सभा द्वारा नहीं किया गया। नियम 148 के तहत जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया उसमें मिसल संख्या व भूमि की स्थिति को प्रकट नहीं किया गया। पट्टे में वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 02 की पुश्तैनी भूमि नहीं है एवं ना ही अप्रार्थी संख्या 02 का गत 40 वर्षो का कोई निर्माण किया हुआ है इसलिए निगरानीधीन पट्टा नियम 157 के तहत जारी नहीं हो सकता बल्कि नीलामी के जरिये ही किया जा सकता था। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन पट्टे को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने मौखिक बहस में बतलाया कि जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 तथा उसके भाईयों का पुश्तैनी कब्जा है। उक्त आराजी के बाबत पंचायत द्वारा तीन पट्टे अप्रार्थी संख्या 02 तथा उसके दो भाईयों के साथ–साथ तीन अन्य पट्टे दूलाराम, केराराम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:23:37 IST
Reason: SelfAttested

लिक्ष्मणराम को जारी किये गये। उन सभी की निगरानी न्यायालय में पेश की गई अतः सभी पट्टे निरस्त किये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। मूल अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि निरीक्षण दल के लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन करने का ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव लेना नहीं पाया गया। नियम 157 के तहत पुराने मकानों का ही नियमन किया जा सकता है परन्तु मिसल में स्पष्ट नहीं किया गया है कि नियमन शुदा भूमि पर मकान बना है या नहीं। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया की विवादग्रस्त भूमि बाबत् जारी पट्टों के विरूद्ध निगरानियां प्रस्तुत हुई उन सभी पट्टों को निरस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीपक्ष के कथनों की पुष्टि होती है कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा संख्या 49 मिसल संख्या 24/2019–20 जो ग्राम पंचायत मोगड़ा कला द्वारा जारी किया गया उनमें विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी स्वीकार योग्य है, परिणामस्वरूपः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा निगरानीधीन पट्टा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए आवेदन का निस्तारण करें। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत मोगड़ा कला को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 11.10.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:23:37 IST
Reason: SelfAttested